सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग

एफ 89(34) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022/पार्ट-II   जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 35) की **धारा 28 की उप धारा (2) के खण्ड (ख)** सपठित **उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020,** समय-समय पर यथासंशोधित, के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को उनके सम्मुख अंकित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (जिला आयोग) का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त करती है :-

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पुरुष/ महिला	नाम जिला आयोग
1.	श्री पवन कुमार भारद्वाज पुत्र श्री जय लाल	पुरुष	जयपुर तृतीय
2.	श्रीमती नन्दिनी गोयल पत्नी श्री विजय कुमार गोयल	महिला	भरतपुर
3.	सुश्री पूजा मित्तल पुत्री श्री सतीश चन्द्र मित्तल	महिला	जयपुर चतुर्थ
4.	श्रीमती सुनयना हपावत पत्नी गिरीश बाठी	महिला	प्रतापगढ
5.	श्री आशुतोष पुत्र श्री ओम प्रकाश सिंह	पुरुष	जयपुर प्रथम
6.	श्रीमती ऋतु राज शर्मा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार चूलेट	महिला	चूरू
7.	श्री हर्ष अरोरा पुत्र श्री ओम प्रकाश अरोरा	पुरुष	चित्तौडगढ
8.	श्रीमती नीलम शर्मा पत्नी श्री श्याम सुन्दर शर्मा	महिला	जयपुर चतुर्थ
9.	श्रीमती सुप्रिया अग्रवाल पत्नी श्री गौरव मोदी	महिला	जयपुर द्वितीय
10.	श्रीमती अनुराधा व्यास पत्नी श्री ध्रुव व्यास	महिला	जोधपुर द्वितीय
11.	श्री अजय कुमार पुत्र श्री भोपाल सिंह	पुरुष	जयपुर द्वितीय
12.	श्री कमलेश शर्मा पुत्र श्री परमेश्वर लाल शर्मा	पुरुष	डूंगरपुर
13.	श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सत्य प्रकाश शर्मा	पुरुष	टोंक
14.	श्री उमेश गिरि पुत्र श्री गौरी शंकर गिरि	पुरुष	धौलपुर
15.	श्री पंकज कुमार शर्मा पुत्र श्री जनार्दन कुमार शर्मा	पुरुष	अलवर
16.	श्रीमती जया मिस्त्री पत्नी श्री जगदीश कुमार सुथार	महिला	सिरोही
17.	सुश्री रंजना पुत्री श्री राम निवास	महिला	जयपुर तृतीय
18.	श्री दिलशाद अली पुत्र श्री शमशेर अली	पुरुष	जोधपुर प्रथम
19.	श्री प्रमेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री प्रहलाद राय सैनी	पुरुष	झुंझुनू
20.	श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सोम दत्त शर्मा	पुरुष	सीकर
21.	श्री सरनाम सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह	पुरुष	कोटा
22.	श्री मनीष परमार पुत्र श्री राजवीर सिंह परमार	पुरुष	उदयपुर
23.	श्री राज कमल दीक्षित पुत्र श्री श्रवण कुमार दीक्षित	पुरुष	उदयपुर
24.	श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री गुरसेवक सिंह जाखर	महिला	श्रीगंगानगर
25.	श्रीमती सावित्री सुथार पत्नी श्री राजेश कुमार लदरेचा	महिला	बीकानेर
26.	श्री नरेन्द्र सिंह गढवाल पुत्र श्री हुकम सिंह गढवाल	पुरुष	बाडमेर
27.	श्री रमाकान्त दीक्षित पुत्र श्री शरद प्रसाद दीक्षित	पुरुष	बूंदी
28.	श्रीमती सीमा डोगरा पत्नी श्री अजय कुमार	महिला	दौसा
29.	श्री उमेश वतवानी पुत्र श्री के.सी. वतवानी	पुरुष	भीलवाडा
30.	श्री रमेश कुमार गौड पुत्र श्री रूखमणा राम गौड	पुरुष	पाली

RajKaj Ref No.: 14944123

31.	श्रीमती आरती शर्मा पत्नी श्री मनीष शर्मा	महिला	सवाई माधोपुर
32.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री राम सहाय शर्मा	पुरुष	नागौर
33.	श्री विनोद कुमार कुशवाह पुत्र श्री अंगनेलाल कुशवाह	पुरुष	राजसमंद
34.	श्री ओमप्रकाश चौधरी पुत्र श्री कालू राम चौधरी	पुरुष	बीकानेर
35.	श्री शिव राम महिया पुत्र श्री पीरा राम महिया	पुरुष	पाली
36.	श्रीमती सीमा पत्नी श्री जमील	महिला	बांसवाडा
37.	श्री नवीन चन्द्र मिश्रा पुत्र श्री विशम्भर दयाल मिश्रा	पुरुष	सिरोही
38.	श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री त्रिलोकी नाथ शर्मा	पुरुष	बांरा
39.	श्री दीपक कुमार पुत्र श्री वल्लभ गौत्तम	पुरुष	श्रीगंगानगर
40.	श्री निरंजन शर्मा पुत्र श्री रिछपाल राय शर्मा	पुरुष	जालौर
41.	श्रीमती लीला भंडारी पत्नी श्री सुभाष भंडारी	महिला	टोंक
42.	श्रीमती प्रीति पांडया पुत्री श्री प्रमोदराय डी पांडया	महिला	डूंगरपुर

उपरोक्त नियुक्तियाँ निम्न शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी: -

1. उक्त नियुक्तियाँ कार्यभार संभालने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिये है।
2. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले,
   (1) संपत्ति और देनदारियों और वित्तीय और अन्य हितों की घोषणा करेगा,
   (2) मेडिकल फिटनेस के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में जिला स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
   (3) उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम- 6 (13) के तहत नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थी एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनमें सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पडने की संभावना हो,
   (4) यदि अभिभाषक वर्ग से है, तो कार्यभार संभालने की तिथि से पूर्व एवं नियुक्ति अवधि के दौरान तक की अवधि के लिये अपनी सनद/रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र का निलंबन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
   (5) यदि किसी शासकीय आयोग/न्यायाधिकरण में किसी पद पर नियुक्त होकर कार्यरत है तो सक्षम अधिकारी से जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
   (6) उसकी जन्मतिथि के समर्थन में मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, निवास का प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र की स्व सत यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करेगा और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कराएगा,
   (7) निर्धारित प्रपत्र में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और सदस्यता लेगा,
   उक्त शर्त की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति को पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को मानदेय/वेतन और भत्ते, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ते तथा चिकित्सा उपचार हेतु अवकाश और अस्पताल की सुविधा इत्यादि **Rajasthan Consumer Protection (Salary, Allowances and Conditions of Service of the President and Members of the State Commission and District Commission) Rules, 2021** एवं इसके तहत समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों के अनुसरण में देय होंगे।
4. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति,
   (1) राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों के लिए निर्धारित प्रत्येक कार्य दिवस के दौरान कार्यकारी समय में उसके पदस्थापन कार्यालय में उपस्थित रहेगा,
   (2) बिना अवकाश स्वीकृत कराए अथवा बिना सूचना स्वेच्छा से अनुपस्थित नहीं रहेगा।
5. उक्त नियुक्त व्यक्तियों में से अभिभाषक वर्ग का व्यक्ति उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या

नियुक्ति अवधि के दौरान तथा पद से हटने के बाद, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग या जिला आयोग के समक्ष वह अभिभाषक की हैसियत से कार्य (प्रेक्टिस) नहीं करेगा।

6. उक्त नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, उसकी नियुक्ति के कार्यकरण या नियुक्ति अवधि के दौरान और उसके पदस्थापन की क्षमताओं में कार्य करते हुए,
   (1) कोई लाभ का पद अथवा अन्य नियुक्ति ग्रहण नहीं करेगा,
   (2) यदि पूर्व से ही किसी लाभ के पद अथवा सेवा में नियोजित है, तो वह इस प्रकार के पद अथवा नियुक्ति पर कार्य नहीं करेगा,
   (3) किसी भी व्यावसायिक सेवा प्रदाता; यथा, अकाउंटेंट/ चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, अभिभाषक और शिक्षक इत्यादि के रूप में पेशेवर सेवा का कार्य नहीं करेगा,
   (4) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सेवा के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा,
   (5) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और इनके अधीन जारी नियमों के अन्तर्गत, अध्यक्ष, संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, तथा राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा,

   उक्त शर्त की अवहेलना किये जाने पर ऐसे व्यक्ति को उसके धारित पद से हटाया जा सकेगा।

7. राज्य सरकार, उक्त नियुक्त व्यक्तियों के उक्त पदस्थापन के अलावा अन्य जिला आयोग में प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरित कर सकेगी या किसी जिला आयोग में पदस्थापन के साथ-साथ अन्य जिला आयोग के कार्य को भी संपादित करने के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।
8. उक्त नियुक्त व्यक्तियों की सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इनके अधीन बनाये गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों से विनियमित होगी। उक्त नियुक्त व्यक्तियों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अनुसार पद से हटाया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 06(11) के अनुसार प्रमाण पत्रों, पूर्ववृतों/ पुलिस सत्यापन के अध्यधीन रहेगी।
10. उक्त नियुक्ति व्यक्ति स्पष्ट रिक्तियों के आलोक में यथाशीघ्र (अधिकतम 07 कार्यदिवस में) अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा ऐसा करने में विफल रहने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में नियुक्ति का यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबीर कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

एफ 89(34) उ.मा.वि./भर्ती प्रकोष्ठ/2022/पार्ट-II जयपुर, दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर / जोधपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
8. महालेखाकार परीक्षक, (महालेखाकार), राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन,नई दिल्ली।
10. निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
11. पंजीयक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
12. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर।
14. वित्तीय सलाहकार, खाद्य विभाग, जयपुर।
15. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
16. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
17. उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय) उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
18. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
19. समस्त संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी (जिला रसद अधिकारी), राजस्थान।
21. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग/उपभोक्ता मामले विभाग को राजस्थान के गजट में आज ही प्रकाशित करवाने के लिए।
22. संबंधित ....।
23. रक्षित पत्रावली।

Document certified by SUBIR KUMAR <subirkumargupta681@gmail.com>.

Digitally Signed by Subir Kumar
Designation : Principal
Secretary To Government
Date :25-04-2025 04:19:31